HVS | Lib | (8) | 14.11.2K

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

16 मार्च, 2000

खण्ड 1, अंक 8

अधिकृत विवरण

विषय सूची

वीरवार, 16 मार्च, 2000

	पृष्ठ संख्या
अल्प सूचना प्रश्न एवं उत्तर	(8)1
वाक-आउट	(8)4
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना	(8)6
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—	
पलवल शहर में पीने के पानी में सीवरेज का पानी मिलकर आने संबंधी	(8)6
स्थगन प्रस्ताव की सूचना	(8)9
वाक-आउट	(8)10
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(8)10
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(8)11
सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र	(8)11
विधान-कार्य	
1. दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 1) बिल, 2000	(8)12

मूल्य : 46 00

2. दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 2) बिल, 2000	(8)14
3. दि हरियाणा पंचायती राज (अमैंडमैंट) बिल, 2000	(8)16
4. दि हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरेशन (अमैंडमैंट) बिल, 2000	(8)18
5. दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल, 2000	(8)20
6. दि पंजाब आयुर्वेदिक एंड यूनानी प्रैक्टीशनर्ज़ (हरियाणा अमैंडमैंट एण्ड वैलीडेशन) बिल, 2000	(8)21
7. दि हरियाणा जनरल सेल्ज़ टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 2000	(8)23
8. दि इंडियन स्टैम्प (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2000	(8)25
धन्यवाद देना	(8)28

हरियाणा विधान सभा

Library 17.11.2K

वीरवार, 16 मार्च, 2000

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादयान) ने अध्यक्षता की।

अल्प सूचना प्रश्न एवम् उत्तर

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज़ अब प्रश्न पूछे जाएंगे।

Setting up of 133 K.V. Sub-station at Ellenabad

***1. Shri Bhagi Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the date on which the foundation stone of setting up 133 KV Sub-station was laid down at Ellenabad; and

(b) the time by which the aforesaid Sub-station is likely to start functioning ?

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) 132 के०वी० उपकेन्द्र ऐलनाबाद की आधारशिला दिनांक 21-1-1991 को रखी गई थी।

(ख) वित्तीय प्रबन्ध हो जाने के बाद सामान्यतया एक नये 132 के०वी० ग्रिड उपकेन्द्र के निर्माण कार्य में 18-24 महीने का समय लगता है। यह आशा की जाती है कि इस कार्य के लिए धन के प्रबन्ध की पुष्टि अगले 4-5 महीनों में कर ली जाएगी।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी को पता है कि सब-स्टेशन की आधारशिला स्वयं इन्होंने रखी थी और यह सन् 1991 में रखी गई थी। उसके बाद से आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है इसका क्या कारण है ? क्या उसके बाद से लेकर आज तक कोई 132 के०वी० के सब-स्टेशन और दूसरे सब-स्टेशंज मंजूर भी हुए हैं या बने हैं ? अगर बने हैं तो हमारे यहां जो सब-स्टेशन की आधारशिला रखी गई थी उसको बनने में इतनी देरी क्यों हुई इसका क्या कारण है ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 21-1-91 को इसकी आधारशिला मैंने ही मुख्यमंत्री के रूप में रखी थी। बाद में हमारी सरकार चली गई। उसके बाद जो सरकारें आई उन्होंने दुर्भावना से सारे काम बंद कर दिए थे। हम उन सब कामों को दोबारा से करेंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में छायसा गांव है वहां पर भी 66 के०वी० के सब-स्टेशन की आधारशिला रखी गई थी और वहां पर 3 प्रतिशत ही बिल्डिंग का काम हुआ है। मैं मुख्य मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या ये उसका भी काम पूरा करवाएंगे ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में यह आश्वासन दूंगा कि पिछली सरकारों के जो खोदे हुए गड्ढे हैं, हम उनको भरेंगे। उनको भरने में कुछ साल लगेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि यह सरकार की जिम्मेवारी है कि हरियाणा में पर्याप्त मात्रा में बिजली दी जाए और इसके लिए हम पूरी बिजली देने की कोशिश करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रघुबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में जहाजगढ़ में एक 33 के०वी० का सब-स्टेशन बनना था उसके बारे में भी मुख्य मंत्री जी बता दें। (विघ्न)

श्री ओमप्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं डा० साहब की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि सरकार की सोच केवल एक ही है कि हरियाणा प्रदेश के हर नागरिक को सारी सुविधाएं मिलें। सरकार हर संभव प्रयास करेगी कि वह सभी को पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध करवाए। इसमें समय तो जरूर लगेगा।

श्री रघुबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : डा० साहब, मुख्यमंत्री जी ने जनरली बता दिया है कि पिछली सरकार के गड्ढों को भरने में उनको थोड़ा समय लगेगा। अब आप बैठें। उन्होंने इन जनरल कह दिया है। (विघ्न)

श्री रघुबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को अपने हल्के की बात तो कहनी ही पड़ेगी।

Construction of Over-Bridge on Railway Line in Rewari City

***2. Shri Ajay Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct over-bridge on Rewari-Jhajjar and Rewari-Narnaul roads across Delhi-Jaipur Railway line in Rewari City ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : इस समय केवल रेवाड़ी-नारनौल ऊपरगामी पुल के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जो कि बी०ओ०टी० के आधार पर होना है। अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित सदस्य को यह विश्वास भी दिलाना चाहूंगा कि वह बड़ा जरूरी पुल है और हम इसको प्राथमिकता के आधार पर ले रहे हैं। चूंकि सरकार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह अपने सोर्सिज से इस पुल को बना सके, इसलिए बी०ओ०टी० के माध्यम से हम बहुत जल्दी इस कार्य को सुचारू रूप से कराने के लिए सोच रहे हैं।

श्री अजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने अपने जवाब में यह कहा है कि रेवाड़ी-नारनौल ओवर ब्रिज के निर्माण का प्रस्ताव अंडर कंसीड्रेशन है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर खास तौर से जब से इंडियन ऑयल कोरपोरेशन का प्लांट लगा और जबसे ड्राई पोर्ट बना है तब से वहां पर बहुत बड़े-बड़े ट्रेलर्ज निकलते हैं जिससे वहां पर लम्बी लम्बी कतारें लग जाती हैं। खास तौर से रिवाड़ी-झज्जर रोड पर जो रेलवे लाईन का क्रासिंग है वह बहुत महत्वपूर्ण क्रासिंग हैं। क्या इस पर भी ओवर ब्रिज बनाने पर सरकार विचार करेगी ? अध्यक्ष महोदय, बजट के अंदर तो इस तरह के पुल बनाने के लिए कोई पैसा नहीं रखा गया है। अगर यह काम बी०ओ०टी० के तहत नहीं हो सकता तो क्या सरकार इस काम को करवाने के लिए अपनी तरफ से अपना शेयर देगी ताकि यह काम पूरा हो सके।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं कैप्टन अजय सिंह को यह बताना चाहूंगा कि जिस दूसरे पुल का इन्होंने जिक्र किया है वहां अभी एक दूसरा बाईपास और बना रहे हैं। पुरानी प्रपोज़ल पहले बाईपास की थी लेकिन वहां पर जब दूसरा बाईपास बनेगा तो उसके फासले को ध्यान में रखकर फिर निर्णय लिया जाएगा।

श्री भगवान सहाय रावत : मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बी०ओ०टी० के आधार पर ही सरकार ने फरीदाबाद में बाटा पुल बनाने की आधारशिला रखी थी तो अब सरकार उसको कब तक पूरा करवाने का विचार रखती है ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं रावत साहब को यह जानकारी देना चाहूंगा कि इसी प्रकार से पानीपत में भी एक ओवर ब्रिज बनना है और फरीदाबाद में भी बनना है लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि पुराने गड्ढों को भरने में हमें समय लगेगा। सारे मामले को देखकर जैसा संभव हो पाएगा वैसे ही बी०ओ०टी० के तहत सारे पुल बनाए जाएंगे ताकि लोगों को आवागमन में दिक्कत न हो।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने बी०ओ०टी० के द्वारा पुल बनाने के बारे में जिक्र किया है। मैं आपके द्वारा उनसे जानना चाहूंगा कि हरियाणा के अन्दर कितने पुल ऐसे हैं जिनको बी०ओ०टी० के द्वारा बनवाने की ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूवल मिल गयी है और यदि कुछ पुलों की ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूवल मिल गयी तो क्या उन के लिए टैंडर्ज़ वगैरह आये हैं ? अध्यक्ष महोदय, ऐसा ही एक पुल पलवल-अलीगढ़ रोड पर भी बनना था क्या मुख्यमंत्री जी इस बारे में भी कोई जानकारी देंगे ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जिस पुल का जिक्र रावत साहब ने किया था वह तो अगस्त तक कंपलीट हो जाएगा। बाकी पुलों के मामले में अभी विचार विमर्श चल रहा है और इनमें समय लगेगा। ये सब विचाराधीन हैं कई और भी इस किस्म के पुल हैं।

Nikhri and Jeetpura Distributary

***6. Shri Ajay Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Nikhri distributary extension and Jeetpura extension; and

(b) if so, the details thereof, togetherwith the time by which the aforesaid proposal is likely to be implemented ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) निखरी डिस्ट्रीब्यूटरी का विस्तार 5.934 कि०मी० से 11.251 कि०मी० तक तथा जीतपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी का विस्तार 4.750 कि०मी० से 7.518 कि०मी० तक किया जाना है जिनकी अनुमानित लागत क्रमशः 130 लाख व 52 लाख रुपये आंकी गई है। इन नहरों का निर्माण कार्य तीव्र सिंचाई लाभ प्रोग्राम के अन्तर्गत धनराशि की उपलब्धता होने पर 30-12-2000 तक पूरा होने की सम्भावना है।

श्री अजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये जो हमारी दोनों निखरी और जीतपुरा डिस्ट्रीब्यूट्रीज थीं ये कौन सी स्कीम के तहत और कब सैंक्शन हुई थीं ? क्या ये अंडर आर०डी०आई० स्कीम के तहत सैंक्शन हुई थीं। इसे सैंक्शन हुए कई वर्ष हो गए हैं इसके साथ की 60-70 करोड़ रुपये की स्कीम्ज पर सिरसा के इलाके में काम भी शुरू हो गया है। हमारे दक्षिणी हरियाणा में पानी की वेयरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए क्या इन स्कीमों पर काम शुरू करेंगे और यदि करेंगे तो कब तक करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को तारीख भी तय करके बता दी कि दिसम्बर तक यह हो जाएगा। सरकार इसके लिए वचनबद्ध है और ऐसे मामलों को हम प्राथमिकता प्रदान करेंगे।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 1977 में चौधरी देवी लाल जी की सरकार के समय में मेरे हल्के में मीटर माजरा फाल से जोशी माइनर निकलती है उसको पक्का करने के लिए चौधरी देवी लाल जी पैसा सैंक्शन करके गए थे और 1982 में चौधरी भजन लाल जी की सरकार ने उसको पक्का तो कर दिया था लेकिन उसका लैवल ऐसा बनाया कि जोशी माइनर में आज तक पानी नहीं आया। मुख्य मंत्री जी पिछले दिनों 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के अन्तर्गत वहां गए थे तो वहां के लोगों ने इस समस्या को मुख्य मंत्री जी के समक्ष रखा था। मैं जानना चाहूंगा कि क्या उस जोशी माइनर का लैवल ठीक करके उस माइनर में सुचारू रूप से पानी चलाने का कष्ट करेंगे यदि हां तो कब तक ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : सरकार इसके लिए वचनबद्ध है कि पर्याप्त मात्रा में पानी दिया जाए। ऐसे बहुत से मामले हमारे विचाराधीन हैं। यदि सम्मानित सदस्य अलग से पूछेंगे तो इस पर्टिकुलर मामले की जानकारी दे दी जाएगी।

श्री रघुबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में भंभेवा माइनर है। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य एक-एक माइनर के बारे में पूछेंगे तो कैसे काम चलेगा ? मैं अपनी बात पुनः दोहराकर इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इस प्रकार के जो जरूरी मामले हैं उन्हें सरकार प्राथमिकता के आधार पर लेकर पर्याप्त मात्रा में पानी और बिजली उपलब्ध करा सके और हरियाणा प्रदेश को बाढ़मुक्त कर सके और किसान को अनेक प्रकार की सुविधायें मिल सकें, की दिशा में कार्य करेगी।

श्री रघुबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, आप हमारे कस्टोडियन हैं हम आपसे अपेक्षा नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाईए। आपका यह सवाल मेन सवाल से रिलेटिड नहीं है। अब प्रश्न समाप्त हो गए हैं।

वाक-आउट

श्री अजय सिंह : स्पीकर सर, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गया है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप बैठ जाइये, श्री करण सिंह दलाल का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है उस पर चर्चा होने दें। (विघ्न)

श्री रघुबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, मेरे तीन प्रश्न थे परन्तु उनका अच्छी तरह से जवाब नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : देखिये आपने जो प्रश्न पूछे थे, उनका संतोषजनक जवाब दे दिया गया है और प्रश्न समाप्त हो गए इसलिए प्रश्नकाल अब ज्यादा लम्बा नहीं चल सकता। आप कृपया बैठ जाइये।

श्री अजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है उस पर बहस होनी चाहिये। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं और आप मुझे बोलने का समय नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब आप बैठ जाइये।

वित्त मंत्री (श्री सम्पत सिंह) : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि प्रश्नकाल बहुत जरूरी होता है। यह बात हम भी मानते हैं लेकिन अगर कोई प्रश्न समय पर नहीं दे सके तो इसमें सरकार क्या कर सकती है। कमजोरी तो माननीय सदस्यों की खुद की है और कहते हैं कि हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया गया। सारे माननीय सदस्य पढ़े-लिखे हैं, सीनियर भी हैं और यह भी जानते हैं कि एक सदस्य का एक बार में दो प्रश्न से ज्यादा नहीं लग सकते। अगर वे चाहते तो शार्ट नोटिस में अपने प्रश्न दे सकते थे। अब जो प्रश्न दिए गये थे वे सब लग चुके हैं और उनका जवाब भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने संतोषजनक दे दिया है। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि ये माननीय सदस्य जनता के कार्यों के प्रति सीरियस नहीं हैं और इस बात से जाहिर हो जाता है कि इन माननीय सदस्यों का डैमोक्रेसी में कितना बिलीफ है। अगर जनता के प्रति सीरियस होते तो शार्ट नोटिस प्रश्न दे सकते थे।

श्री रघुबीर सिंह कादयान : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कादयान साहब, जीरो आवर के दौरान कोई प्वायंट ऑफ आर्डर नहीं होता।

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, माननीय सदस्य लिखित रूप में तो कोई प्रश्न देते नहीं हैं और सदन में जबानी बात करते हैं बाद में प्वायंट ऑफ आर्डर की बात करते हैं। जबकि इन्हें पता है कि जीरो आवर में कोई प्वायंट ऑफ आर्डर नहीं होता।

श्री रघुबीर सिंह कादयान : स्पीकर सर, मैं मानता हूं कि माननीय वित्त मंत्री के सामने कुछ राजनीतिक मजबूरियां हैं। ये इतने काबिल हैं कि कल बजट पर भी हमें बोलने का पांच मिनट से ज्यादा समय नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष : कादयान साहब आप बैठिये।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात दुख के साथ कहनी पड़ रही है कि जब लीडर ऑफ दि हाउस किसी प्रश्न का जवाब दें तो उन्हें पूरी जानकारी होनी चाहिये। परन्तु प्रश्नों का ठीक ढंग से जवाब नहीं दिया जा रहा है। मेरी माननीय सदन के नेता से विनती है कि वे सदस्यों के प्रश्नों का सही जवाब दें।

श्री रघुबीर सिंह कादयान : स्पीकर सर, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है।

श्री अध्यक्ष : आप सब सदस्य एक साथ बोलोगे तो बात कैसे सुनी जायेगी। एक-एक सदस्य को बोलना चाहिये। आप एक साथ दो-दो सदस्य बोल रहे हैं।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से एक बात कहना चाहता हूं कि इनको प्रत्येक मैम्बर के प्रश्न का जवाब देना चाहिए और टाल-मटोल नहीं करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : प्रत्येक प्रश्न पर 2-2, 3-3 सप्लीमैंटरी हो चुके हैं।

श्री रघुबीर सिंह कादयान : स्पीकर साहब, हमें क्वैश्चन पूछने का पूरा अधिकार है इसलिए आप हमें हमारे क्वैश्चन के जवाब सरकार से दिलवाएं। (शोर)

श्री अजय सिंह : स्पीकर साहब, हम अपने इलाके के लोगों की दुःख तकलीफ यहां हाउस में नहीं रख सकते तो हमारा यहां हाउस में बैठने का क्या फायदा है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : कृपा करके सभी माननीय साथी अपनी-अपनी सीट पर बैठ जाएं।

श्री रघुबीर सिंह कादयान : स्पीकर साहब, यदि आप हमें अपने प्रश्न पूछने के लिए समय नहीं देते हैं तो हमारा यहां हाउस में बैठने का क्या फायदा है इसलिए मैं एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक आउट करता हूं।

(इस समय इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य श्री रघुबीर सिंह कादयान सदन से बाहर चले गए)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना

श्री अजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, धारूहेड़ा में जो इण्डस्ट्रीज लगी हैं, वे वहां पोल्यूशन फैला रही हैं और उससे लोगों की आंखें खराब हो रही हैं। इस बारे में मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। उसके बारे में आपने क्या फैसला किया है।

श्री अध्यक्ष : वह डिस अलाउ कर दिया गया है। कृपया आप बैठ जाएं।

श्री अजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मैटर है इसको इग्नोर क्यों किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : कृपया आप बैठ जाएं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—

पलवल शहर में पीने के पानी में सीवरेज का पानी मिल कर आने संबंधी

Mr. Speaker : I have received a Calling Attention Notice from Shri Karan Singh Dalal, regarding the mixing of sewerage water into drinking water in Palwal. I admit it, Shri Karan Singh Dalal, may read his notice. (Interruptions).

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी कालिंग अटैंशन मोशन पढ़ने से पहले आपसे एक अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने आपकी सेवा में जो एडजर्नमैंट मोशन दिया है उसके बारे में आपने क्या फैसला दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अजय सिंह : स्पीकर साहब, आपने मेरा कालिंग अटैंशन मोशन किस बिनाह पर डिस अलाउ किया है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : चौ० भजन लाल जी आप अपनी पार्टी के सदस्यों को समझाएं कि वे इस तरह से शोर मचाकर सदन का माहौल खराब न करें। जो आज शॉर्ट नोटिस क्वैश्चन थे उनके बारे में जिन-जिन माननीय सदस्यों ने सप्लीमैंटरी पूछी उनका जवाब सरकार की तरफ से आ गया। जो श्री रघुबीर सिंह कादयान सवाल पूछना चाहते थे वह मेन सवाल से सम्बन्धित नहीं था।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैम्बर ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब देना सरकार का दायित्व होता है। (विघ्न) इस तरह यह शोर-शराबा नहीं होना चाहिए। हमारे कुछ मैम्बर भी नये हैं और स्पीकर साहब आप भी नये हैं। लेकिन मुख्य मंत्री महोदय तो नये नहीं हैं। जो सवाल मैम्बर ने पूछा है उसके बारे में उसे संतुष्ट तो करना चाहिए। सवाल का जवाब देना सरकार का दायित्व है।

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी जिस भी मैम्बर ने सवाल पूछा था उसका जवाब दे दिया गया है।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, सवाल-जवाब के लिए एक घंटा होता है। लेकिन आपने तो यह पहले ही समाप्त कर दिया। आप पार्लियामैंट में जाकर देखें, वहां पर एक सवाल का जवाब देने में ही एक घंटा लग जाता है। आज प्रश्न भी ज्यादा नहीं थे। सिर्फ तीन प्रश्न थे और एक घंटे का समय था। एक प्रश्न के ऊपर 20-20 मिनट बहस होनी चाहिए थी ताकि मैम्बर संतुष्ट हो जाते। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी शॉर्ट नोटिस के ऊपर प्रश्न लगाये थे। (विघ्न)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, शॉर्ट नोटिस पर प्रश्न लगाने का मतलब यह नहीं होता कि समय ही न दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (श्री संपत सिंह) : स्पीकर सर, विपक्ष के नेता ने अभी कहा कि तीन प्रश्न थे और एक प्रश्न के ऊपर 20-20 मिनट का समय देना चाहिए था। पार्लियामैंट में एक प्रश्न के जवाब में ही एक घंटा लग जाता है। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इनकी बात ठीक है। लेकिन जो प्रश्न पूछे गये हैं वे किसी पर्टिकुलर माईनर, पर्टिकुलर सब-स्टेशन या पर्टिकुलर ब्रिज के बारे थे। उनका जवाब दे दिया है। अगर ये प्रश्न पूरे हरियाणा से संबंधित होते तो सभी मैम्बर उस बारे में पूछते और हम जवाब देते, जैसा पहले होता आया है। जो आज प्रश्न लगे थे वे सभी ही किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में थे। जिनका मुख्य मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया। इसलिए उन पर ज्यादा समय कैसे लगाते। स्पीकर सर, चौधरी भजन लाल जी ने कहा कि कैप्टन साहब नये मैम्बर हैं। इस बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर इनका फौज का एक्सपीरियंस न भी लगायें तो भी ये बहुत सीनियर हैं।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने कैप्टन साहब के बारे में नहीं कहा। बल्कि जो हमारी पार्टी के पहली बार विधायक बनकर आये हैं उनके बारे में कहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, उसके बावजूद जो जनरल पोलिसी थी वह पढ़कर बता दी, 10.00 बजे इरीगेशन के मामले में, पावर के मामले में सरकार की जो जनरल पोलिसी थी वह भी दे दी। हर पर्टिकुलर सवाल पर पर्टिकुलर जवाब ही दिया जाता है। अन्य बातें तो आज तक नहीं हुई हैं और

[श्री सम्पत सिंह]

न ही पहले इस तरह की परम्परा रही। स्वयं भजन लाल जी भी मुख्य मंत्री काफी समय तक रहे हैं उनके टाइम में भी जो पर्टिकुलर प्रश्न आता था केवल उसी प्रश्न के ऊपर ही पर्टिकुलर जवाब आता था। उसी हिसाब से तैयारी करके ही आते हैं। जनरल बात आएगी तो जनरल के हिसाब से ही जवाब आएगा। यह तो अध्यक्ष महोदय, आपकी फ्राखदिली है और मुख्य मंत्री जी की फ्राखदिली है कि पोलिसी स्टेटमैन्ट भी इनके सामने रख दी। इसके बावजूद भी इनको एतराज है तो उसका तो कोई हल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपके सामने मैम्बर्ज़ खुद बजट पर बोल कर गये हैं और अब ये कह रहे हैं कि बजट पर बोलने का मौका नहीं मिला। यह सब तो सत्य से परे की बातें हैं। मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता से निवेदन करूंगा कि कम से कम वे यहां तो अपनी पार्टी के एम०एल०एज़० को बांध कर रखें। बाहर चाहे ये कितना ही लड़ें, इनके दो नेता हों या तीन नेता हों, हमें कोई एतराज नहीं है। (शोर) लेकिन यहां पर तो ये डिसिप्लिन में रहें। अध्यक्ष महोदय, जहां तक ट्रेनिंग कैम्प की बात है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने सौजन्य से ये कैम्प आयोजित करायें उसमें चाहे पार्लियामैन्ट के स्पीकर या दूसरे सदस्यों को बुला लें। (शोर)

एक आवाज : आप अपने वालों को तो डिसिप्लिन में रख लें। (शोर)

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि हमारे तो सारे के सारे सदस्य डिसिप्लिन्ड हैं। (शोर) हमारे जब लीडर खड़े होते हैं और इशारा भी करते हैं तो उस इशारे पर एक-एक मैम्बर कुर्बानी देने के लिये तैयार रहता है। हम आप लोगों की तरह नहीं हैं। (शोर) अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से इन्होंने यहां हालात पैदा किये हैं अपोजिशन पार्टी के दो-दो मैम्बर्ज़ आपके आसन के पास आ कर खड़े हो जाते हैं और विपक्ष के नेता अपनी तरफ से खुद उनको समझाने आ रहे हैं। यह तो मैं इनका बड़प्पन मानता हूं कि इतने जूनियर मैम्बरों को ये उठकर समझाने आ रहे हैं ताकि हाउस का डैकोरम बना रहे। इसके लिये मैं उनका स्वागत करता हूं। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, विपक्ष के नेता इनकी पार्टी के ही हैं और कम से कम अपनी पार्टी के नेता में तो इन लोगों को विश्वास रखना चाहिए। इसलिये मैं आपके माध्यम से इन लोगों से अनुरोध करूंगा कि हाउस का डैकोरम बनाएं रखें तो अच्छा रहेगा। (शोर) अध्यक्ष महोदय, आज असैम्बली का लास्ट दिन है और जो सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहा है वही सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे तो अच्छी बात है। (शोर) अध्यक्ष महोदय, इनकी मजबूरी को हम समझते हैं। (शोर)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप बैठिए। सारी बातें हो गई हैं। (शोर)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि इसमें मैम्बरों का क्या दोष है ? (शोर)

श्री अध्यक्ष : जब आपके मैम्बर उठ-उठ कर यहां आ रहे हैं तो इसमें आपके मैम्बरों का नहीं तो और किस का दोष है।

श्री भजन लाल : सर, मैम्बर जब हाउस में बैठे हुए हैं। अगर कोई क्वैश्चन आता है तो मैम्बर सवाल तो पूछ सकते हैं। सदन के नेता या मंत्री जी के पास अगर उसका जवाब नहीं है तो वे इतना ही कह सकते हैं कि यह बात इस क्वैश्चन से रिलेटिड नहीं है। नहीं तो, सदन के नेता को जरूर जवाब देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, मैंने खुद कहा है कि क्वैश्चन से संबंधित बात नहीं है। शायद आपने सुना नहीं क्योंकि आपका ध्यान अपने सदस्यों को मनाने में था।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता के पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। जो क्वैश्चन से जुड़ी हुई बात न हो उसका वे जवाब देना चाहते हैं तो दें लेकिन सरकार पर हम दबाव नहीं डाल सकते कि वे हर हालत में जवाब दें। हमारे लिये यह कहना मुनासिब भी नहीं है। लेकिन बार-बार इस तरह के लम्बे भाषण जो दिये जाते हैं उनका कोई लाभ नहीं। (शोर) मैं तो यही कह रहा हूं कि नये मैम्बरों के लिये आप भी क्लासिज़ लगा लें और हम भी लगा लेंगे। (शोर)

स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष : श्री कर्ण सिंह दलाल, आप अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़ें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको सदन के नेता श्री ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ एक एडजर्नमैंट मोशन दिया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब मैंने आपको जिस विषय पर बोलने के लिए खड़ा किया है आप उसी विषय पर बोलें। (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : सर, मैंने आपको श्री ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ एक एडजर्नमैंट मोशन दिया है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : आपने कालिंग अटैंशन मोशन पर बोलना है या नहीं, मैंने आपको कालिंग अटैंशन मोशन पर बोलने के लिए खड़ा किया है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मैं इसे पढ़ना चाहता हूं, लेकिन सदन के नेता श्री ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ मैंने जो एडजर्नमैंट मोशन दिया है पहले मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। (शोर)

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप अपना कालिंग अटैंशन मोशन पढ़ें। (शोर) मैंने जो बोल दिया है आप उसके मुताबिक करें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मैंने जो एडजर्नमैंट मोशन दिया है....

वित्त मंत्री (श्री सम्पत सिंह) : स्पीकर सर, जो आपकी इजाजत के बगैर बोला जा रहा है वह रिकार्ड नहीं किया जाये।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, श्री ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ एक एफ०आई०आर० नं० 34 दिनांक 27-1-97 दर्ज है, मैंने उसके बारे में एक एडजर्नमैंट मोशन दिया है.... (शोर)

श्री अध्यक्ष : आप सिर्फ कालिंग अटैंशन मोशन पर ही बोलिए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, पहले मैंने एडजर्नमैंट मोशन दिया है पहले मैं उस पर बोलना चाहता हूं। (शोर)

श्री अध्यक्ष : आपका एडजर्नमैंट मोशन अभी मेरे पास आया है, वह विचाराधीन है। उसको हम एग्जामिन कर रहे हैं, उसके बारे में बाद में बोलना। पहले आप कालिंग अटैंशन मोशन पढ़िए।

ग्राम एवं नगर आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : स्पीकर सर, जो चीज पहले एडमिट होती है, उसी पर चर्चा होनी चाहिए। इनका कालिंग अटैंशन मोशन पहले एडमिट हुआ है इसलिए पहले उसी पर चर्चा होनी चाहिए। (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, कुरुक्षेत्र की धरती पर शपथ लेने वाली ओम प्रकाश चौटाला की सरकार है और श्री ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ केस एफ०आई०आर० नं० 34 अन्डर सैक्शन 123 दर्ज है।

श्री अध्यक्ष : आपने कालिंग अटैंशन मोशन पढ़ना है या नहीं, अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िये। (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : सर, मैंने एक एडजर्नमैंट मोशन दिया है * * * * (शोर)

श्री अध्यक्ष : ये जो कुछ भी कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये। आप केवल काल अटैंशन मोशन पर ही बोलिए। अगर आप नहीं मानते तो मैं अगला आईटम लेता हूं।

वाक-आउट

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे एडजर्नमैंट मोशन पर बोलने नहीं दे रहे, इसलिए मैं सदन से वाक-आउट करता हूं।

(इस समय रिपब्लिकन पार्टी आफ इण्डिया के सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल सदन से वाक-आउट कर गए।)

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 15.

Finance Minister (Shri Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

> That the proceedings on the items of business fixed for today, be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly' indefinitely.

Mr Speaker : Motion moved—

> That the proceedings on the items of business fixed for today, be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Asembly' indefinitely.

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : Question is—

That the proceedings on the items of business fixed for today, be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly' indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Parlaiamentary Affairs Minister will move the Motion under Rule 16.

Finance Minister (Shri Sampat Singh) : Sir, I beg to move--

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine die.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine die.

Mr. Speaker : Question is—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine die.

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र

Mr. Speaker : Now, a Minister will lay papers on the Table of the House.

Finance Minister (Shri Sampat Singh) : Sir, I beg to lay on the table—

The Grant Utilisation Certificate and audit Report for the year 1997-98 of Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Hisar as required under Section 34(5) of the Haryana and Punjab Agricultural Universities Act, 1970.

The Annual Report of the Haryana State Industrial Development Corporation Limited for the year 1998-99 as required under Section 619-A (3) of the Companies Act, 1956.

The Audit Report on the Accounts of Haryana Financial Corporation for the year 1997-98 as required under Section 37(7) of the State Financial Corporation Act, 1951.

The Finance Accounts of the Government of Haryana for the year 1998-99 in pursuance of the provisions of clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

[Shri Sampat Singh]

The Appropriation Accounts of the Government of Haryana for the year 1998-99 in pursuance of the provisions of clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 2000, No. 1 (Revenue Receipt) of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

विधान-कार्य

1. दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 1), बिल, 2000

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 2000 and also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Shri Sampat Sngh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 2000.

I also beg to move—

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Questions is—

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause—2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause—3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Question is—

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause—1

Mr. Speaker : Question is—

That clause-1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

श्री इन्द्रजीत सिंह (जाटूसाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्वायंट ऑफ आर्डर पर खड़ा हुआ था। स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि पूरा हाउस आपकी इज्जत करता है तथा आपसे यह उम्मीद भी रखता है कि आप निष्पक्ष होकर हाउस की प्रोसीडिंग्ज़ को चलाएंगे। जो कॉलिंग अटेंशन मोशन्ज़ आई हैं उनकी बाबत मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा जो कॉलिंग अटेंशन मोशन रिजैक्ट की गई हैं उनके बारे में कनसंर्ड मैम्बर को पूरी सूचना नहीं दी गई है इसलिए निवेदन है कि मैम्बर्ज़ को उनका फेट जरूर बताया जाए। लेकिन अगर आपके पास कोई काल अटैंशन मोशन या एडजर्नमैंट मोशन आए तो सदन के सदस्य आपसे उम्मीद करते हैं कि उस पर आपने क्या फैसला लिया है वह बताया जाए। आपने कर्ण सिंह दलाल की एडजर्नमैंट मोशन को रिजैक्ट कर दिया उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आपने यह नहीं बताया कि उसको रिजैक्ट क्यों किया।

श्री अध्यक्ष : वह रिजैक्ट नहीं की है उसमें मैंने यह कहा था कि वह विचाराधीन है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, परम्परा के अनुसार हाउस चलता है पुरानी नीतियों के अनुसार हाउस चलता है। पुरानी प्रथा यह रही है कि जब भी कोई मोशन रिजैक्ट किया जाता है तो उसका यहां पर कारण बताया जाता है। आप यहां पर कह देते कि हमने आपकी एडजर्नमैंट मोशन रिजैक्ट कर दी है। कर्ण सिंह दलाल की एडजर्नमैंट मोशन रिजैक्ट कर दी है यह क्यों की है हम यह जानने के लिए खड़े हुए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जब मैं बता रहा था तो आप लोगों ने शोर मचा दिया। आपने सुना ही नहीं। वह रिजैक्ट नहीं की वह एग्जामिन कर रहे हैं। एक काल टैंशन मोशन लगने का मतलब यह नहीं कि आप बीसियों पर बोलें।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने क्लीयर कर दिया था। ये तो यहां पर जो मंशा बना कर आए थे उसी मंशा के हिसाब से यहां पर यह सब कुछ कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने एप्रोप्रिएशन बिल पास करने के लिए मोशन मूव किया हुआ है आप उसको पास करें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुनें। आप हमें सुन ही नहीं रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरी शराफत का यह मतलब नहीं आप यों ही बोलते रहें। आपको एक काल अटैंशन मोशन पर बोलने का मौका मिला तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बीसियों पर बोलें। आप मेरे अधिकारों को देखें मैं उनका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। आप पिछली प्रथा को भी देखें उस वक्त क्या हुआ करता था। आप सब बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनें।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

2. दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 2) बिल, 2000

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 2000 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Shri Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 2000.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause—2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause-2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause—3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause-3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Question is—

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause—1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

3. दि हरियाणा पंचायती राज (अमैंडमैंट) बिल, 2000

Mr. Speaker : Now, the Chief Minister will introduce the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2000 and will also move the motion for its consideration.

Chief Minister (Shri Om Parkash Chautala) : Sir, I beg to introduce the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2000.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill be taken into consideration.

श्री भजन लाल (आदमपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बिल के बारे में एक मिनट बोलना है। सरकार पंचायती राज में इस बिल के माध्यम से अमैंडमैंट ला रही है लेकिन इससे पहले कम से कम इनको इस बिल की थोड़ी भूमिका तो हाउस को बतानी चाहिए कि इस बिल को हाउस में लाने का मकसद क्या है, क्यों सरकार यह बिल ला रही है? ये सारी बातें इनको हाउस को बतानी चाहिएं।

वित्त मंत्री (श्री सम्पत सिंह) : स्पीकर सर, यह बिल तो कल ही हाउस में सर्कुलेट कर दिया गया था। अभी तक तो ये राज में ही रहे हैं पहली बार इनको अपोजीशन में आने का मौका मिला है। अगर आप इस बार तैयारी करके नहीं आए तो कोई बात नहीं हमें उम्मीद है कि आप अगली बार तैयारी करके आएंगे।

श्री इन्द्रजीत सिंह : अगर हम तैयारी करके नहीं आए हैं तो क्या आप तैयारी करके आए हैं। अगर आप तैयारी करके आए भी हैं तो आप ही इस बारे में हमें बता दें।

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, ये इन बिल्ज के बारे में पढ़ कर तो आते नहीं हैं। फिर भी अगर इनके दिमाग में कोई सवाल इस अमैंडमैंट से संबंधित है या कोई शंका है तो ये यहां पर पूछ सकते हैं। ये पूछें तो सही परन्तु ये इसको पढ़कर ही नहीं आए हैं। आपको इसको पढ़ कर आना चाहिए था। (विघ्न)

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause—2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause-2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause—3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause—1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Chief Minister will move that the Bill be passed.

Chief Minister (Shri Om Parkash Chautala) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

4. दि हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरेशन (अमैंडमैंट) बिल, 2000

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Local Government will introduce the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2000 and will also move the motion for its consideration.

स्थानीय शासन राज्य मंत्री (श्री सुभाष चन्द्र) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2000 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं—

कि हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause—2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause—3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried..

Clause—1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried..

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Local Government will move that the Bill be passed.

स्थानीय शासन राज्य मंत्री (श्री सुभाष चन्द्र) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं—

कि विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

श्री इन्द्र जीत सिंह (जाटूसाना) : अध्यक्ष महोदय, नगर निगम का बिल लाया गया है और पास करवाया जा रहा है। इनके इलैक्शन दिसम्बर में होने चाहिए थे अब जाकर के मार्च के अन्दर होने लग रहे हैं मैं इस पर केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इसे हमको पास तो करना पड़ेगा और पोस्ट डेटिड करना पड़ेगा लेकिन कारण जरूर हाउस के सामने आना चाहिए। नगर पालिका के चुनाव, पंचायतों के चुनाव और जिला परिषदों के चुनाव विधान सभा चुनाव से पहले नहीं होने चाहिये, इस प्रकार का प्रयास सरकार की तरफ से किया गया था क्योंकि चुनावों से पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सरकार इस प्रदेश में कार्यरत थी इसलिए ये जानते थे कि अगर पंचायतों के चुनाव विधान सभा के चुनाव से पहले हो गये तो वर्तमान सरकार की सरकार शायद नहीं बन सकती थी। इसलिए कान्स्टीच्यूशन ओबलिगेशन को इन्होंने नजर अंदाज किया। इनकी इस बात का सारे प्रदेश में खासा रोष है और कांग्रेस पार्टी इनकी इस नीति के ऊपर रोष प्रकट करती है।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं राव इंद्रजीत सिंह जी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। इनकी यह बात तो ठीक है कि पंचायतों के चुनाव और जिला परिषदों के चुनाव विधान सभा चुनाव से पहले होने चाहिये थे। लेकिन किसी व्यक्ति ने हाईकोर्ट में एक अपील दायर कर दी थी इसलिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उस अपील के आधार पर उन चुनावों को जून तक स्थगित कर दिया था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य ने हाईकोर्ट में एक अपील दायर की और हाईकोर्ट ने उस अपील को मंजूर कर लिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ही इन चुनावों की तारीख तय की गई। राव इंद्रजीत सिंह को ज्ञान तो सब बातों का है। इनकी पार्टी ने तो प्रयास किया था कि विधान सभा के चुनावों से पहले कुछ बखेड़ा हो लेकिन कोर्ट ने तो इनकी बात को नहीं माना।

श्री इन्द्रजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार की इस उपलब्धि को तो हम मानते हैं कि वर्तमान सरकार ने विधान सभा के चुनावों से पहले पंचायतों के चुनाव नहीं होने दिए। (विघ्न)

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

5. दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल, 2000

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Local Government will introduce the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2000 and will also move the motion for its cosideration.

स्थानीय शासन राज्य मंत्री (श्री सुभाष चन्द) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2000 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं—

कि हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause—2

Mr. Speaker : Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause—3

Mr. Speaker : Question is—

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause—1

Mr. Speaker : Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting formula be the Enacting formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Local government will move that the Bill be passed.

स्थानीय शासन राज्य मंत्री (श्री सुभाष चन्द) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं—

कि विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

6. दि पंजाब आयुर्वेदिक एंड यूनानी प्रैक्टीशनर्ज (हरियाणा अमैंडमैंट एंड वैलीडेशन) बिल, 2000

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Health will introduce the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana amendment and Validation) Bill, 2000 and will also move the motion for its consideration.

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल रंगा) : अध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा व्यवसायी (हरियाणा संशोधन तथा बिधिमान्यकरण) विधेयक, 2000 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं—

कि पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा व्यवसायी ((हरियाणा संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause—2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause—3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause—4

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause—1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That enacting formula be the Enacting formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Health will move that the Bill be passed.

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल रंगा) : आदरणीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं—

कि विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

---

7. दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 2000

Mr. Speaker : Now, the Chief Minister will introduce the Haryana general Sales Tax (Amendment) Bill, 2000 and will also move the motion for its consideration.

Chief Minister (Shri Om Parkash Chautala) : Sir, I beg to introduce the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, 2000.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause—2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause—3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause—4

Mr. Speaker : I have received a notice of amendment to this clause from Shri Om Parkash Chautala, Chief Minister. He may please move his motion.

Chief Minister (Shri Om Parkash Chautala) : Sir, I beg to move—

That the proposed sub-clause(v) of Clause 4 be omitted.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the proposed sub-clause(v) of Clause 4 be omitted.

Mr. Speaker : Question is—

That the proposed sub-clause(v) Clause 4 be omitted.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause—5

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause—1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That enacting formula be the Enacting formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Chief Minister will move that the Bill, as amended, be passed.

Chief Minister (Shri Om Parkash Chautala) : Sir, I beg to move—

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

---

8. दि इंडियन स्टैम्प (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2000

Mr. Speaker : Now, the Revenue Minister will introduce the Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill, 2000 and will also move the motion for its consideration.

ग्राम एवं नगर आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय स्टैम्प (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2000 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं—

कि भारतीय स्टैम्प (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

Mr. speaker : Motion moved—

That the Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री इन्द्रजीत सिंह (जाटुसाना) : अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री ने जो बिल इन्ट्रोड्यूस किया है उसके ओब्जैक्ट में लिखा है कि—

" "Release Deed" is being mis-used by Co-owners, Co-sharers etc. for renouncing their interest, share, part or claim in favour of another co-owner, co-sharer etc. by paying stamp duty of Rs. 15/- only against "Release Deed" instead of "Conveyance Deed"..."

इस बिल में 15/- रुपये की स्टैम्प ड्यूटी लगाकर अपना इन्ट्रैस्ट को-पार्टनर या किसी को-शेयरर को देने जा रहे हैं। इसमें दो क्लॉजिज हैं। ए-क्लॉज में तो अपनी प्रौपर्टी का हिस्सा खून के रिश्तेदार को देने की बात है। इसमें तो 15/- रुपये स्टैम्प ड्यूटी सीमित रखी है। यह अच्छी बात है। लेकिन जो दूसरी क्लॉज है जिसमें को-शेयरर की बात है। जैसे कई को-शेयरर हो जाते हैं जिनमें खून का रिश्ता नहीं हो उनके लिये कंविंस डीड के तहत ज्यादा पैसे लेने की सरकार ने तजवीज की है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कई बार पार्टनरशिप की जाती है तो एक आदमी के पास प्रौपर्टी खरीदने के लिये इकट्ठा पैसा नहीं हो सकता और 4-5 लोग इकट्ठे मिलकर एक ' ोज को खरीद लेते हैं। उसके बाद 1 साल, 2 साल या पांच साल के बाद उन लोगों में आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है तो उस स्थिति में कोई आदमी यह सोचता है कि यह तो घाटे का सौदा है और यह महसूस करता है कि अपनी चीज दूसरे को रिलीज कर दूं और वह कंविंस डीड द्वारा अपने हिस्सेदार को रिलीज कर देता है ताकि कम से कम झगड़ेबाजी से तो बचा

[श्री इन्द्रजीत सिंह]

जाएगा और कोई लट्ठ तो नहीं बजेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि सरकार की आज के दिन वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है लेकिन कंविंस डीड का खर्चा बढ़ाने से भी कोई खास अन्तर आने वाला नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी सूरत में ज्यादा पैसे खर्च करके अपनी डीड को रिलीज करना पड़ेगा तो वह शायद रिलीज न करे। इसलिये जो काम 15 रुपये देकर हो जाता था वह झगड़ेबाजी तक चला जाएगा। जैसा कि पहले ये लोग कह भी रहे थे कि मिसयूज करके लोग 15 रुपये फीस देकर अपनी डीड दे देते थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर कोई आदमी किसी प्रोपर्टी में हिस्सेदार होने के बाद पांच-सात साल तक पार्टनरशिप निभाने की कोशिश करें और उसके बाद न निभा पाए तो दूसरे हिस्सेदार को अगर वह रिलीज करना चाहे तो उसे करने दीजिए। अगर सरकार उसको जबरदस्ती उसी दायरे के अन्दर बांधे रखेगी तो उसका परिणाम यह होगा कि थोड़े दिन के बाद तनाव बढ़ते-बढ़ते फौजदारी झगड़े हो जाएंगे, पुलिस का प्रबन्ध करना पड़ेगा। इससे बढ़िया तो यह कि ''बी'' क्लाज को डिलीट कर दें वरना मैं समझता हूं कि इस तरह के बिल को लाना नहीं चाहिए। इससे हमारे प्रान्त में झगड़े बाजी होगी। मैं इस बिल को अपोज करता हूं।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस बिल की मंशा को नहीं देखा। वर्तमान सरकार ने लोगों की भावनाओं को देखते हुए यह संशोधन प्रस्तुत किया और हाउस के सामने लेकर आये हैं। इसमें साफ लिखा हुआ है कि जहां खून का रिश्ता है उनको एग्जैम्प्ट किया हुआ है। इसके अलावा पैतृक सम्पति को भी छूट दी हुई है। इसके विपरीत माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि दो हिस्सेदार हैं या 4 हिस्सेदार हैं उनमें दो महीने बाद झगड़ा हो जाएगा। यह हो जाएगा, वह हो जाएगा। इसमें कम से कम यह चीज तो क्लीयर आएगी कि कौन बोगस फर्मे चला रहा है और कौन क्या कर रहा है। इस संशोधन के द्वारा सच्चाई सामने आएगी। कोई झगड़े नहीं हो रहे हैं बल्कि झगड़े कम हो रहे हैं। अगर कोई अपना शेयर दूसरी पार्टी को देगा तो उसकी तसवीर भी सामने आएगी। मैं आपके द्वारा सारे हाउस से यह विनती करता हूं कि इस संशोधन द्वारा सरकार की मंशा प्रदेश के लोगों के विकास की है, इससे लोगों में भाईचारा कायम रहेगा। अच्छी परम्परा बनेगी। अध्यक्ष महोदय उधर के लोग तो दो नम्बर के काम को बढ़ावा देना चाहते हैं जबकि हम तो यह चाहते हैं कि लोगों में इससे भाईचारा कायम हो।

वित्त मंत्री (श्री सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने डिटेल में बता दिया है फिर भी शायद ये लोग समझ नहीं पाये। मैं क्लीयर कर देता हूं। ये कह रहे हैं कि हम अमैण्डमैन्ट करने जा रहे हैं। हम तो उलटा लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, दो बातें हैं एक तो को-पार्टनर या कोशेयरर की बात है और दूसरी बात को-पार्टनर व फैमिली के खून के रिश्ते की बात है। राव इन्द्रजीत सिंह जी को-पार्टनर के बारे में कह रहे थे। ये पढ़े-लिखे और सियाणे आदमी हैं, अच्छे जमींदार भी हैं इसलिये इनको आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मान लो अगर 4 लोगों ने प्रोपर्टी खरीद ली तो उसमें मिसयूज का तरीका यह होता है जैसे कि किसी के पास 18 एकड़ जमीन है और दूसरा उसे खरीदना चाहता है तो वह पहले एक कनाल जमीन खरीद लेगा। इस तरह से वह को-पार्टनर बन गया। उसके बाद यदि उसकी मंशा सारी जमीन खरीदने की थी तो ओनली अगेंस्ट रिलीज डीड वह सारी जमीन अपने नाम कर लेगा। इसका मतलब है कि उसको स्टैम्प ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा ही होता रहेगा तो रजिस्ट्रियां ही बन्द हो जाएंगी। चौधरी बंसी लाल जी ने तो अपने टाईम में कानून पास कर दिया था कि अगर ब्लड रिलेशंज में भी किसी ने जमीन खरीदनी है तो वह भी रजिस्ट्रियां करवाओ। बंसी लाल जी ने तो खून के रिश्ते को भी नहीं बख्शा। आप जानते हैं कि खून के रिश्ते की 4-4 व 5-5 पीढ़ियां

तक खिसक जाती हैं और उनकी जमीन सांझे में चलती रहती है। अब उनको भी रिलीफ दिया है कि वह भी अपना शेयर आपस में किसी के नाम करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। इनको तो इस बिल को एप्रिशियट करना चाहिए। जिस बात को हम डिलीट करने जा रहे हैं क्या आप इस डिलिशिन के अगेन्स्ट हैं। अमैंडमैंट केवल इतना है कि We want to delete this. That is all.

श्री इन्द्रजीत सिंह : स्पीकर साहब, एफ०एम० साहब ने एक उदाहरण दे करके इस बिल को क्लैरीफाई करने का प्रयत्न किया है। जो सिनैरियो इन्होंने बताया मैं भी इनको एक सिनैरियो बताना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति से 18 एकड़ जमीन 4 आदमी इकट्ठे होकर के खरीदना चाहें तो जो मालिक है वह कहता है कि मैं तो 18 की 18 एकड़ जमीन एक मुश्त बेचूंगा, इसके चार हिस्से करके नहीं बेचूंगा। उनमें से एक आदमी के पास उस व्यक्ति की सारी जमीन लेने के लिए पैसे नहीं थे तो फिर 4 आदमियों ने मिलकर उस जमीन को खरीद लिया जबकि वे आपस में रिश्तेदार नहीं हैं। एक साल, दो साल या 10 साल के बाद उनके बीच में झगड़ेबाजी शुरू हो गई। एक कहता है कि आज से 10 साल पहले जो पैसा मैंने लगाया है तो उसी भाव के मुताबिक मैं अपना शेयर उनको सरेन्डर करके एक चौथाई अपना शेयर देना चाहता हूं। (विघ्न)

श्री धीरपाल सिंह : हम यह संशोधन नहीं कर रहे। यह तो आलरेडी बिल में प्रोवीजन है। इसमें जो संशोधन किया गया है उसमें यह है कि जो खून का रिश्ता है जिनकी पैतृक सम्पति है, उस पर भी चौधरी बंसी लाल जी के समय में फीस लगती थी। हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के निर्देश की पालना करते हुए उनमें संशोधन कर रहे हैं और जो गलत काम श्री बंसी लाल जी के समय में हुए थे वर्तमान सरकार ने उनको ठीक करने का प्रयत्न किया है। राव साहब, इसमें तो हमने यह छूट दी है। दिक्कत यह रही है कि सीनियर मोस्ट होने के बावजूद भी आप वहां तक नहीं पहुंच पाये जहां तक आपको पहुंचना चाहिए था।

श्री इन्द्रजीत सिंह : ब्लड रिलेशन को आप रिलीफ दे रहे हैं मैं इसकी सराहना करता हूं। मुझे तो इस बिल के बी-सैक्शन पर आपत्ति है।

श्री धीरपाल सिंह : वह तो पहले से ही कन्टीन्यू है।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) ; हमने तो इसमें संशोधन करके थोड़ा और आगे कर दिया है कि बुआ की जायदाद भतीजा भी ले सकता है और नानी की जायदाद उसका दोहता भी ले सकता है। हमने तो इसे और ज्यादा सरल कर दिया है।

Mr. Speaker : Question is—

> That the Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause—2

Mr. Speaker : Question is—

> That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

[Mr. Speaker]

Clause—1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Revenue Minister will move that the Bill be passed.

ग्राम एवं नगर आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : सर, मैं प्रस्ताव करता हूं—

कि बिल पारित किया जाये।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

धन्यवाद देना

मुख्य मन्त्री (चौधरी ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने बहुत ही अच्छे माहौल में इस हाउस को चलाया और बहुत ही फिराखदिली दिखाई। विधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत ही अच्छे माहौल में हमारा यह बजट अधिवेशन समाप्त हुआ है और इसके लिए सदन के विपक्ष के नेता भी बधाई के पात्र हैं। यह बात ठीक है इनके कुछ साथी बेकाबू हो जाते रहे हैं (हंसी) लेकिन इनकी तरफ से प्रयास जरूर हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं अधिकारीगण का भी आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने भी सदन के सदस्यों को सही सूचनाएं उपलब्ध करवाई। इसके साथ ही मैं श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने बहुत ही अच्छे माहौल में अच्छा वातावरण कायम करने की कोशिश की। मेरे एक फ़ाज़िल दोस्त वाक-आउट करके चले गए। उनको चाहिए था कि यहां पर बैठे रहते और सारी बात को सुनते तो मैं बहुत

ही अच्छे ढंग से उनको सारी बात बताता। लेकिन सदन की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि मेरे विरुद्ध जिस एफ०आई०आर० का जिक्र किया जा रहा था उसी की वजह से वे अपनी कालिंग अटैंशन मोशन भी नहीं पढ़ पाए जो शायद वे ज्यादा जरूरी समझते थे या नहीं समझते थे और एक और ही विषय को लेकर उन्होंने चर्चा की। इसके माध्यम से उन्होंने शायद अखबारों की सुर्खियों में छपने का प्रयास किया हो। जिस एफ०आई०आर० का जिक्र किया गया तो मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि एफ०आई०आर० तो कोई भी किसी के भी खिलाफ दर्ज करवा सकता है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने कोई भी केस विदड्रा नहीं किया। जिस केस का वे जिक्र कर रहे हैं वह केस बाकायदगी से कोर्ट में तय हुआ है। इस केस में पूरी तरह से इन्क्वायरी करके उसको कोर्ट द्वारा खारिज किया गया है। पता नहीं वे क्या बताना चाह रहे थे या क्या कहना चाह रहे थे या उनकी क्या मंशा थी। अध्यक्ष महोदय, यह तो पुरानी सरकार की प्रथा थी, चौधरी बंसी लाल की सरकार में इस प्रकार के केसिज़ विदड्रा हुए हैं। श्री कर्ण सिंह के खिलाफ भी ऐसे केसिज विदड्रा हुए हैं। वे यहां से उठ कर चले गए हैं और अब तो अगले सदन में ही वे हाउस में आ पाएंगे। जानबूझ कर कुछ लोग अच्छे माहौल में तलखी पैदा करने का प्रयास किया करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं और यह उम्मीद रखूंगा कि सदन की गरिमा को बरकरार रखते हुए इसी प्रकार से आगे के लिए हरियाणा प्रदेश में बहुत अच्छे ट्रैडीशन्ज़ कायम करते रहेंगे। आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हम आपके बहुत ही आभारी हैं कि आपने सैशन को बहुत ही शानदार तरीके से चलाया। इस सैशन के बारे में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि सैशन का समय बहुत थोड़ा रखा गया है। बजट सैशन कम-से-कम 15-20 दिन का जरूर होना चाहिए। हो सकता है कि सरकार के सामने कुछ मजबूरियां हों लेकिन जो हाउस ने कर दिया सो सही है लेकिन आइन्दा के लिए जरूर ध्यान रखा जाए कि बजट सैशन कम से कम तीन हफ्ते से कम नहीं होना चाहिए। 15 दिन से कम का बजट सैशन तो किसी भी राज में नहीं रहा चाहे वह चौधरी बंसी लाल जी का राज रहा हो, चाहे भजन लाल का। यह जरूर कहूंगा कि अगले बजट सैशन 15 दिन से कम के न रहें। अध्यक्ष महोदय, दूसरे हम लीडर ऑफ दि हाउस के बड़े आभारी हैं कि उन्होंने डिप्टी स्पीकर के लिए गहलोत साहब का नाम चुना (विघ्न) गहलोत साहब बहुत काबिल, समझदार, सुलझे हुए और बढ़िया आदमी हैं उनको डिप्टी स्पीकर बनाने के लिए हम आपको बधाई देते हैं। लेकिन एक बात मैं इस बारे यह कहूंगा कि अभी दो घण्टे से ज्यादा समय हाउस को चलते हुए हो गया है, चेयर पर बिठाने के लिए उन्हें समय नहीं दिया गया, कम से कम आधा समय तो उनको दिया जाना चाहिए था ताकि अखबार में भी यह बात आ जाती कि डिप्टी स्पीकर साहब ने भी हाउस को प्रिज़ाईड ओवर किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं मैम्बर साहेबान और मुख्य मन्त्री जी का भी आभारी हूं कि उन्होंने पूरा को-आप्रेट किया और आगे के लिए भी उम्मीद करता हूं कि वे ऐसा ही करेंगे। इसके साथ ही मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वे भविष्य में माइन्ड को थोड़ा कूल रखेंगे क्योंकि मुख्य मन्त्री को माइन्ड कूल रखना पड़ता है। (विघ्न) वे मीठा बोलें ताकि सारा माहौल ठीक रह सके। आगे चल कर छः महीने में सरकार की कारगुजारी देखेंगे और जो अच्छे काम सरकार करेगी उनके लिए हम सरकार की तारीफ भी करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : लीडर ऑफ दि ओपोजीशन ने डिप्टी स्पीकर के चयन की सराहना की मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हम तो उस ट्रैडीशन को भी बरकरार रखने का प्रयास कर रहे थे। (विघ्न) हमने तो तय कर लिया था कि कांग्रेस पार्टी के किसी सदस्य को डिप्टी स्पीकर

11.00 बजे | बनने का अवसर दिया जाए। (विघ्न) मैंने आपको जाने से पहले यह कहा था कि डिप्टी

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

स्पीकर साहब का चुनाव होना है आप बैठिए। आप कूल तो रहते हैं लेकिन जब बगल में झांकते हैं तो आपको गुस्सा आ जाता है। (हंसी) अध्यक्ष महोदय, मेरे से एक चूक हो गई। मैं विशेष तौर पर प्रेस का भी आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने अपनी कलम के माध्यम से यहां की बातों को बहुत अच्छे ढंग से जनता तक पहुंचाया। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रेस की भूमिका आगे भी ऐसी ही रहेगी ताकि जनतन्त्र कायम रह सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बजट सत्र में सत्ता पक्ष के नेता और मैम्बर्ज, विपक्ष के नेता और मैम्बर्ज तथा सभी इन्डीपैंडेंट सदस्यों ने सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव दिए इसके लिए मैं आप सब का आभारी हूं। आज तक गवर्नर एड्रैस पर इस सदन में जितना समय हमने दिया है वह समय पहले कभी भी किसी सरकार के वक्त में नहीं दिया गया है। बजट पर भी बहुत से माननीय सदस्य बोले और पर्याप्त मात्रा में समय दिया गया है और सभी ने इसमें मुझे को-आप्रेट किया है इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मैं अधिकारीगण और प्रेस के सदस्यों का भी आभारी हूं। यहां पर जो दर्शकगण थे उन्होंने भी बड़े आराम से सदन की कार्यवाही को सुना है इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। यहां पर कई नये साथी आए हैं और उनको यहां के प्रोसीजर का पता नहीं था। उनको एजुकेट करने के लिए, उनके क्या-क्या अधिकार हैं उनको समझाने के लिए हम यहां पर एक ट्रेनिंग कैम्प जल्दी ही लगाएंगे। अगर कोई मैम्बर जो दो तीन बार चुन कर आ चुका हो और वह भी यह ट्रेनिंग कैम्प अटैंड करना चाहता हो तो वह भी निसंकोच अपना नाम इसके लिए जब हम नाम मागेंगे तो दे सकता है। वह किसी प्रकार से हैजिटेट न करें। पढ़ाई कभी भी खत्म नहीं होती है कभी भी पढ़ा जा सकता है। पढ़ता-पढ़ता आदमी बूढ़ा भी हो जाता है। अगर किसी को जो थोड़ी बहुत कमी नजर आई होगी मुझे उम्मीद है कि वह आईन्दा नहीं आएगी। मैं एक बार फिर आप सब का आभार प्रकट करता हूं और सबका धन्यवाद करता हूं।

Mr. Speaker : Now, the House is adjourned sine-die.

*11.03 Hrs. (The Sabha then *adjourned sine-die).